न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 7/2023 अपील (GCMS 2023/8)
पंजीयन दिनांक – 19/01/2023
निर्णय दिनांक – 30.03.2026

श्री भंवरलाल पिता हीरालाल तेली निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

– अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार–वल्लभनगर, जिला उदयपुर
2. श्री भगवती पिता रूपलाल मेनारिया, निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
3. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री भगवतीलाल मेनारिया, निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

– रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पत लाल बोहरा — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट 1
3. श्री महेन्द्र मेनारिया — अधिवक्ता रेस्पोडेंट 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 102/2020 विविध प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 12.09.2022

निर्णय

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 102/2020 विविध प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 12.09.2022 के विरूद्ध यहां पेश की गई।

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भटेवर, तहसील वल्लभनगर में अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। आराजी नम्बर 1821 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज होकर इसमें आवंटन के बाद 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि शेष है इसी में से भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है। नये सेटलमेंट में पूर्व नक्शे के विपरीत आराजी नम्बर 1821 की भूमि जो रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है उसको आराजी नम्बर 2106 दर्शाकर रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के खातेदारी की दर्शा दी तथा अपीलांट की भूमि से लगी पश्चिम दिशा में तथा रास्ते के काम में आ रही भूमि के मध्य आराजी नम्बर 5160/2099 डालकर रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के खातेदारी में दर्शा दी

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जबकि इन दोनों नम्बर नक्शे में पैमुदगी में नम्बर 3831/1821 के अनुसार पूर्व नक्शे के अनुसार होनी चाहिये। इस आशय का नक्शे में सुधार करने हेतु प्रार्थना पत्र अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2022 को निरस्त कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस भी पेश की। अपनी बहस में बताया कि आराजी नम्बर 1821 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा बिलानाम भूमि में से आवंटन पश्चात 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि शेष बची। शेष भूमि में से रास्ते के रूप में भूमि उपयोग में आ रही है। रास्ते की भूमि को सेटलमेंट में रेस्पोडेंट की भूमि आराजी नम्बर 2106 दर्शा दिया। इसी प्रकार अपीलांट की भूमि के पश्चिम दिशा तथा रास्ते की भूमि के मध्य भी आराजी नम्बर 5100/2099 रेस्पोडेंट की भूमि दर्शा दी जो कि नियम विपरीत है। नये सेटलमेंट में पुराने सेटलमेंट के इन्द्राज को ही दोहराने का अधिकार है उनको बिना किसी सक्षम स्वीकृति के नहीं बदला जा सकता। यह भी बताया कि अभिलेख में रास्ता दर्ज नहीं है परन्तु मौके पर रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग सभी करते है। साबिक नक्शे में रेस्पोडेंट की भूमि को नेशनल हाईवे से दूर बना रखा है परन्तु हाल में हाईवे से लगी हुई दर्शायी गई है। रेस्पोडेंट के खाते में भूमि भी अधिक दर्ज की हुई है। आराजी नम्बर 1821 अलग भूमि है तथा आराजी नम्बर 3831/1821 अलग है। आराजी नम्बर 3821/1821 भी अलग भूमि है। आराजी नम्बर 2106 को गलत दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को सही तरीके से समझे बिना आदेश पारित कर दिया कि अपीलांट खाते की भूमि से रास्ते की मांग कर रहा है और धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश दे दिये।

मयाद के बिन्दु पर बताया गया कि अपीलांट 86 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है और उसके वकील ने समय पर निर्णय की सूचना नहीं दी जिससे समय पर अपील पेश नहीं की जा सकी। निर्णय की सूचना प्राप्त होते ही नकल ली जाकर अपील पेश की गई। अपीलांट ने जानबूझ कर देरी नहीं की है जिससे अपील मयाद में शुमार करने हेतु निवेदन किया। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने हेतु अनुरोध किया। अपने पक्ष में न्यायालय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ का निर्णय दिनांक 11.05.2015 आर.बी.जे. (22) 2015 पेज 390, आर.बी.जे. (20)2013 पेज 8 व 83 तथा आर.बी.जे. (9)2002 पेज 332 प्रस्तुत किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने भी लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रखे है। आने–जाने का रास्ता आराजी नम्बर 2259 में राजस्व रेकार्ड

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

में पैमुद किया हुआ है और अपीलांट इसी से अपने खेतो में आता–जाता है। अपीलांट नये सिरे से रेस्पोडेंट की भूमि में से नया रास्ता कायम कराना चाहता है ताकि हाईवे से रास्ता उपलब्ध होने से उसे उसकी भूमि की अधिक कीमत मिल सके। सेटलमेंट में कोई इन्द्राज का परिवर्तन नहीं किया गया है। यह भी बताया कि अपीलान्ट ने अपनी भूमि में से रास्ता घोषित करवाने एवं निषेधाज्ञा का वाद संख्या 3/2023 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, वल्लभनगर में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुसार है। अपील भी मयाद के बाहर पेश की गई है जिसका कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया है। अंत में अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद वह रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज आराजी नम्बर को बिलानाम घोषित करवाकर रास्ते के रूप में उसका उपयोग चाह रहा है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.09.2022 द्वारा निरस्त किया गया है। इसी प्रकार सिविल न्यायाधीश, वल्लभनगर द्वारा भी रास्ता घोषित करवाने/सुखाधिकार व निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 02.08.2023 को खारिज किया जा चुका है।

उक्त पृष्ठभूमि में प्रकरण धारा–136 की राजस्व अभिलेख में लिपिकीय त्रुटि या बंदोबस्त के दौरान हुई अशुद्धि के प्रभावित खातेदारों की बाद सुनवाई निवारण की परिधि में नहीं होने से उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के आदेश दिनांक 12.09.2022 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं पाई जाने से कोई हस्तक्षेप उचित नहीं समझा जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विलम्ब से प्रस्तुत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

भंवरलाल	**बनाम**	तहसीलदार, वल्लभनगर व अन्य

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 07 / 2023 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
30.03.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। निर्णय सुनाया जाकर विस्तृत निर्णय अलग से शामिल फाईल किया गया। उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के आदेश दिनांक 12.09.2022 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं पाई जाने से कोई हस्तक्षेप उचित नहीं समझा जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। मिसल फैसल शुमार हो। 30/3/2026 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		